



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines, Jabalpur

कारण बताओ नोटिस/ई-मेल द्वारा

सेवा में,

श्री अनिल नागरथ (मालिक),
सिविल लाइन्स, कटनी,
पोस्ट - कटनी, डिस्ट्रिक्ट- कटनी - 483501
ईमेल - anilnagrath2009@gmail.com, gdixit423@gmail.com

Subject: मध्य प्रदेश राज्य के कटनी जिले में आपकी कछगवा चूनापत्थर खान (1.821 हेक्टेयर), माइन कोड - 38MPR18123 में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन।

Sir,

दिनांक 22.11.2023 को इस कार्यालय के सहायक खनन अभियंता, श्री अभिषेक रंजन गौतम द्वारा, श्री ज्ञान दत्त दीक्षित, पट्टाधारी प्रतिनिधि की उपस्थिति में किये गये निरीक्षण के दौरान आपकी उपरोक्त खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली (एम सी डी आर), 2017 के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया, उल्लंघन पत्र दिनांक 22/12/2023 को खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के निम्नांकित नियमों के लिए जारी किया गया था :-

नियम स.	पाए गए उल्लंघन की विस्तृत प्रकृति
नियम 11 (1)	<p>खनन पट्टे के अंतर्गत खनन परिचालन. - (1) खनन पट्टे का कोई भी धारक भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुमोदित, संशोधित या पुनर्विलोकित या राज्य सरकार द्वारा धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अनुसरण में स्थापित प्रणाली के अनुसार तैयार और अनुमोदित की गई खनन योजना के अतिरिक्त किसी भी क्षेत्र में कोई खनन संक्रिया आरंभ या परिचालित नहीं करेगा।</p> <p>उक्त खदान की खनन योजना का पुनर्विलोकन को इस कार्यालय के पत्रांक- MP/KATNI/LIMESTONE/RMP-64/2021-22 दिनांक 28.01.2022 द्वारा अनुमोदित की गई, जिसमें वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक कार्य करने के प्रस्ताव शामिल हैं। निरीक्षण के दौरान एम सी डी आर 2017 के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया है..</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अनुमोदित खनन योजना मे वर्ष 2022-23 में 04 नग बोर होल्स का प्रस्ताव था। परन्तु अन्वेषण का कार्य बिलकुल ही नहीं किया गया। 2. खदान में प्रस्तावित बाउंड्री पिलर संख्या 2/1 से 3 के बीच (लगभग 700 वर्ग मीटर) 7.5 मीटर क्षेत्र में पुनर्भरण का कार्य नहीं किया गया है।
नियम 55(1)	<p>भूवैज्ञानिकों और खनन अभियंताओं के रोजगार - (1) इन नियमों के अनुसार गवेषण, पूर्वक्षण या खनन कार्य के प्रयोजन केलिए,</p> <p>(क) प्रत्येक गवेषण परमिट धारक एक पूर्णकालिक भूविज्ञानी को नियुक्त करेगा;</p> <p>(ख) प्रत्येक पूर्वक्षण अनुज्ञपित या पूर्वक्षण अनुज्ञपित -सह- खनन पट्टा एक पूर्णकालिक भूविज्ञानी और एक अंशकालिक खनन इंजीनियर को नियुक्त करेगा;</p> <p>(ग) प्रत्येक खनन पट्टा धारक, निम्न मामले में इन्हें नियुक्त करेगा -</p> <p>(i) श्रेणी 'क' की खानों में, एक पूर्णकालिक खनन इंजीनियर और एक भूविज्ञानी;</p> <p>(ii) श्रेणी 'ख' की खानों में, एक अंशकालिक खनन इंजीनियर और एक अंशकालिक भूविज्ञानी :</p> <p>परंतु यह कि पूरी तरह मशीनीकृत 'क' श्रेणी की खानों के मामले में खनन इंजीनियरों और भूवैज्ञानिकों के पास खनन के क्षेत्र में एक पर्यवेक्षी क्षमता में काम करने का कम से कम पाँच वर्ष का व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए :</p> <p>खान में भूविज्ञानी की नियुक्ति नहीं हुई है।</p>

I/30500/2024

2. इस संबंध में आपके पत्र दिनांक 01/02/2024 के उत्तर पर विधिवत विचार किया गया है तथा नियम 11(1) के बिंदु 2 & 55(1) का उत्तर संतोषजनक पाया गया है। लेकिन, नियम 11(1) बिंदु संख्या 1(अन्वेषण का कार्य) नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त खान में एमसीडीआर-17 के नियम 11(1) का उल्लंघन अभी भी विद्यमान है।
3. एम सी डी आर-2017 के नियम 11(1) का पालन न करने पर एम सी डी आर-2017 के नियम 11(2) के प्रावधानों के तहत खनन संक्रिया को निलंबित किया जा सकता है।
4. इसलिए, आपको इस पत्र के जारी होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर कारण बताने का निर्देश दिया जाता है कि क्यों न आप पर उपरोक्त अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाए।
5. इस संबंध में यह आपके ध्यान में लाया जाता है कि उपरोक्त उल्लंघन एम सी डी आर-2017 के नियम 62 के तहत दंडनीय अपराध है।
6. कृपया ध्यान दें कि इस संबंध में आपको आगे कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा।

भवदीय,

(माधवराव साबरे)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि प्रेषित (ईमेल) :

01. संचालक, भौमिकी एवम खनिकर्म, मध्य प्रदेश सरकार, खनिज भवन, 29-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्रवाई हेतु.
02. खान नियंत्रक (मध्यांचल), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर
03. जिलाधीश, जिला - कटनी (म.प्र.) सूचनार्थ

(माधवराव साबरे)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो